(266)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 496—दो/2017 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 12—01—2017 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 536/अपील/2015—16.

.....

1—नवीन समाधिया
2—अनिल समाधिया
3—संतोष समाधिया
पुत्रगण सूरज प्रसाद समाधिया
4—रेखा समाधिया विधवा गिरीश समाधिया
5—राहुल 6— अभिषेक समाधिया
पुत्रगण स्व0 गिरीश समाधिया
दोनों अवयस्क द्वारा संरक्षिका माता
रेख समाधिया
निवासीगण पुराना बसस्टेण्ड सीहोर म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1—शकुन्तला बाई तथाकथित पत्नि
स्व0 भगवान दयाल समाधिया पुत्री भागीरथ
निवासी तलावली चान्दा इन्दौर म0प्र0
2—कुसुम पत्नि राजेन्द्र पसाद व्यस्क
निवासी ग्राम बाजना तहसील माध
जिला मथुरा उत्तर प्रदेश
3—म0 प्र0 शासन द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर
जिला सीहोर म0प्र0

—— अनावेदकगण

.....

श्री एस0 के0 गुरौदिया अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मेहरबान सिंह अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 30/8/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–01–2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भवन पुराना नजूल शीट कमांक 106 भूखण्ड कमांक 140 क्षेत्रफल 125.50 वर्गमीटर नजूल अधिकारी सीहोर के प्रकरण कमांक 84/अ–6/1993–94 में पारित आदेश दिनांक 24.9.94 के विरूद्ध अपील अपर कलेक्टर जिला सीहोर के समक्ष प्रस्तुत की गई अपर कलेक्टर सीहोर ने आदेश दिनांक 28.2.2014 द्वारा नजूल अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.9.94 निरस्त करते हुये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया कि सभी हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर आदेश पारित करें। अपर कलेक्टर सीहोर के आदेश दिनांक 28.2.14 के विरूद्व अपील आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष की गई जिनके द्वारा आदेश दिनांक 15.12.14 से अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की गई। जिससे दुखित होकर अपीलार्थीगण द्वारा निगरानी राजस्व मण्डल ग्वालियर में प्रस्तुत की गई जिसमें पारित आदेश दिनांक 11.6.15 को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया तथा अपर कलेक्टर जिला सीहोर को निर्देश दिये गये कि उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये साक्ष्य आदि लेकर प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण करें अपर कलेक्टर सीहोर द्वारा प्रकरण कमांक 05/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 13.5.16 नजूल अधिकारी सीहोर का आदेश दिनांक 24.9.94 विधिसंगत न होने से निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि मृतक खुशीलाल पुत्र काशीराम के स्थान पर इस न्यायालय में अनावेदक शकुन्तला बाई पत्नि बेवा भगवान दयाल एवं कुसुम पुत्री भगवान दयाल का नाम भूमिस्वामी की हैसियत से दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्व अपर आयुक्त भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की उनके द्वारा आदेश दिनांक 12–1–2017 को अपील निरस्त की गई इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलीय न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेशों के पालन में उभयपक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना अनावेदकगण के हित में नामांतरण आदेश पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य पर कूट परीक्षण का अवसर परस्पर दिये बिना

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को अखंण्डित मानकर उनके हित में नामांतरण आदेश पारित किया जो निरस्ती योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने नजूल अधिकारी द्वारा निगरानीकर्तागण को माता के हित में पारित नामांतरण आदेश की आदेश पत्रिकाओं का न्याय संगत मूल्यांकन किये बिना नामांतरण आवेदन पत्र दिनांक 19.9.94 को प्रस्तुत किया जाना एवं आदेश पत्रिका दिनांक 7.9.94 को लिखी जाना संबंधी अभिमत निर्धारित कर 20 वर्ष पश्चात चुनौती दिये जाने को नजर अंदाज कर बिना स्वत्व व अधिकार के अनावेदकगण के हित में नामांतरण आदेश पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर अकारण अविश्वास कर अनावेदकगण को स्व0 भगवान दयाल के वारिसान पत्नि व पुत्री मानने में तथ्य मिश्रित विधिक त्रुटि की है और समानता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल का आदेश दिनांक 12.1.17 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदकगण के अधिवक्ता का तर्क है कि स्व0 श्री भगवान दयाल जो खुशीलाल के एक मात्र पुत्र थे शादी के पश्चात वह अपनी पत्नि के साथ उज्जैन में निवास करने लगे थे तथा समय समय पर आगर अपने पिता के भवन की देखभाल व किरायेदारों से किराया प्राप्त करते रहे परन्तु भगवान दयाल के स्वर्गवास होने के पश्चात परिवार में कोई पुरूष सदस्य न होने के कारण तथा अनावेदक अनपढ़ होने के कारण आवेदकगण की माता कमला बाई ने नजूल अधिकारी एवं राजस्व निरीक्षक से सांठगांठ कर बिना किसी स्वामित्व एवं आधिपत्य के उपरोक्त भवन यह कहते हुये कि भगवान दयाल का स्वर्गवास हो गया है उनके कोई पत्नि या संतान नहीं है। भवन का नामांतरण किया जावे। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिवत कार्यवाही के बिना इश्तहार जारी किये और बिना उत्तराधिकारी की जानकारी प्राप्त किये विधि विरूद्व जो फौती नामांतरण कराया है था वह भी निरस्त किया जा चुका है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल का आदेश दिनांक 12.1.17 विधि प्रकिया से उचित होने से स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भवन के नामांतरण किये जाने का श्रीमती कमला बाई वेबा पत्नी सूरज प्रसाद निवासी पुराना बस स्टेण्ड सीहोर द्वारा भवन स्वामी जेठ खुशीलाल की मृत्यु 30–35 वर्ष होने के बाद दिनांक 19.9.94 को आवेदन पत्र नजूल अधिकारी सीहोर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, नजूल अधिकारी द्वारा दिनांक 7.9.94 प्रथम आदेश पत्रिका लिखी गई एवं दिनांक 24.9.94 को बिना विधि वारिसों की जांच किये केवल यह व्यक्त करते हुये कि आवेदिका भवन में निवास करती है नगर पालिका में आवेदिका के नाम नामांतरण हो चुका है। स्व0 खुशीलाल आवेदिका के जेठ थे, श्रीमती कमला बाई के नाम नामांतरण स्वीकृत कियाहैं विचारणीय बिन्दु यह है कि आवेदक द्वारा दिनांक 19.9.94 को नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 7.9.94 को प्रथम आदेश पत्रिका लिख कर दिनांक 24.9.94 को आवेदिका के नाम नामांतरण कर दिया गया। पीठासीन अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा आवेदन देने के पूर्व ही आदेश पत्रिका लिख दी गई जबकि आवेदक द्वारा दिनांक 19.9.94 को नामांतरण हेतु आवेदन दिया गया। इसी प्रकार उद्घोषणा पत्र का अवलोकन किया गया नजूल अधिकारी द्वारा किस दिनांक को उद्घोषणा जारी की गई एवं किस के द्वारा चस्पा एवं मुनादी कराई गई उद्घोषण पर कोई उल्लेख नहीं है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 में स्पष्ट है कि समस्त हितबद्व पक्षकारों को विधिवत सूचना दी जावे उनके संबंध में उद्घोषणा जारी कर उसकी मुनादी कराई जावे। जबकि नजूल अधिकारी सीहोर द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 117–तीन/15 नवीन कुमार विरूद्व शकुन्तला आदि में पारित आदेश दिनांक 11.6.15 में दिये गये निर्देशानुसार उभयपक्षों को पूर्ण सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये आदेश पारित किया गया है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर नजूल अधिकारी सीहोर द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.9.94 पारित करने की प्रकिया में इस प्रकरण में प्रतिप्रार्थीगणों को विधिक वारिस होने के उपरांत भी व्यक्तिशः नोटिस जारी करने का प्रयास न करते हुये मात्र कब्जेदार के कहने पर नामांतरण आदेश पारित किया है जिसे अपर कलेक्टर सीहोर एवं अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल

द्वारा निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। उनके आदेशों से मैं सहमत हूँ। परिणामस्वरूप अपर कलेक्टर सीहोर द्वारा प्रकरण कमांक 05/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 13.5.16 एवं अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 536/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 12–1–2017 उचित होने से स्थिर रखे जाते है । आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधार हीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर